

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सरल भाषा में: RTI कैसे काम करता है

यह कब काम आता है

- आप किसी सरकारी दफ्तर में अपने आवेदन या शिकायत की स्थिति जानना चाहते हैं
- कोई दफ्तर कारण या रिकॉर्ड नहीं दे रहा
- RTI लगाने से पहले अपने अधिकार समझना चाहते हैं

कदम-दर-कदम

1. जानें कौन और क्या माँग सकता है

नागरिक सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी, रिकॉर्ड, दस्तावेजों की प्रतियाँ और काम का निरीक्षण माँग सकते हैं। "सब कुछ बताइए" की जगह साफ़ सवाल पूछें।

2. आवेदन भेजें

इसे दफ्तर के लोक सूचना अधिकारी को संबोधित करें। केंद्र के दफ्तरों के लिए rtionline.gov.in पर ऑनलाइन भेज सकते हैं; कई राज्यों के अपने पोर्टल हैं। थोड़ी फ़ीस लगती है, और ग़रीबी रेखा से नीचे के लोगों को छूट है।

3. 30 दिन में जवाब की उम्मीद रखें

अधिकारी को 30 दिन में जवाब देना चाहिए। किसी के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी जानकारी पर 48 घंटे में।

4. ज़रूरत हो तो अपील करें

जवाब न मिले या ग़लत हो तो प्रथम अपीलीय अधिकारी को पहली अपील करें, फिर सूचना आयोग में दूसरी अपील।

ज़रूरी बातें

- कुछ जानकारी छूट में है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा और कुछ निजी जानकारी
- जवाब की अवधि 30 दिन है
- जानकारी माँगने का कारण बताने की ज़रूरत नहीं

हेल्पलाइन: साइबर ठगी 1930 · उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 · महिलाएँ 181 · आपातकाल 112 · मुफ्त कानूनी सहायता 15100